श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश

518, न्यू मोती बंगला, एम.जी.रोड. इंदौर-452007
दूरभाष 0731-2432822,फैक्स 0731-2536600
ई-मेल आय.डी.lcmpirs@mp.gov.in. वेबसाइट-http:// labour.mp.gov.in

क्रमांक:- 09/27/तीन/2023/ इन्दौर, दिनांक 26 / 10 /2023

परिपत्र

निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश के समस्त विधानसभा क्षेत्रों के आम निर्वाचन हेतु विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम-2023 जारी किया गया है। उक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 17.11.2023 (शुक्रवार) को संपूर्ण प्रदेश में मतदान होगा।

उक्त के प्रकाश में भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट क्रमांक ECI/PN/57/2023 दिनांक 09/10/2023, एवं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा परिपत्र क्रमांक 20/चार/2023/9076 दिनांक 09/10/2023 का अवलोकन किया जाए जिनकी प्रति सर्व संबधितो को दी गई है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ग के प्रावधानानुसार प्रदेश की समस्त विधानसभाओं के क्षेत्रों में आने वाले सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह दैनिक मजदूर या आकस्मिक श्रमिक श्रेणी का ही हो, जो आगामी विधानसभा आम निर्वाचन-2023 में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाना आवश्यक है। यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि वह कामगार किसी ऐसे उद्योग या स्थापना में नियोजित है जो उस विधानसभा क्षेत्र से बाहर है जहाँ आम निर्वाचन हो रहे हैं, तब भी उन्हें मतदान हेतु सवैतनिक अवकाश की पात्रता होगी। इस आशय के विस्तृत निर्देश उक्त परिपत्र में दिये गये हैं।

उपर्युक्त के परिपालन हेतु सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापन के प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यरत सभी कामगारों को आगामी विधानसभा निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने की दृष्टि से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उक्त प्रावधान का परिपालन सुनिश्चित करते हुए मतदान दिवस को समस्त श्रेणी के कामगारों को सवैतनिक अवकाश अनिवार्यतः प्रदान करेंगे।

उपर्युक्त निर्देशों का समुचित परिपालन राज्य के कारखानों के अधिभोगीगणो प्रबंधकों तथा दुकानों, व्यवसायियों, कारोबारियों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के नियोजक तथा प्रबंधकों द्वारा सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न-उक्तानुसार

(श्रीकांत बनोठ)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर

क्रमांक:- 09/27/तीन/2023/32380-32505 इन्दौर, दिनांक 26/10/2023

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, निर्वाचन सदन, 17 अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर उनके परिपत्र क्रमांक 20/चार/2023/9076 दिनांक 09/109/2023 के संदर्भ में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल की ओर उप सचिव श्रम का पत्र क्रमांक 978/2023/बी - 16 दिनांक 13/10/2023 के संदर्भ में सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
5. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर अतिरिक्त प्रति सहित । कृपया प्रदेश के सभी स्थानीय तथा राज्य स्तरीय समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के लिए प्रकाशन हेतु प्रेषित ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, की ओर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी संदर्भित परिपत्रों के परिपालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संयुक्त संचालक, जन सम्पर्क, इन्दौर की ओर समस्त मीडिया में प्रकाशनार्थ।
10. समस्त सहायक श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. समस्त श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर

मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग,
वल्लभ भवन,मंत्रालय,
भोपाल
--00--

क/978/ /2023/बी -16 भोपल दिनांक 13/10/2023

प्रति,

1.श्रमायुक्त
श्रमायुक्त कार्यालय,
म.प्र. इंदौर।
2.संचालक,
कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें,
म.प्र. इंदौर।

विषयः-विधानसभा आम निर्वाचन 2023- कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों को अवकाश दिये जाने बाबत्।

संदर्भः-कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त पत्र कं फा.कं.20/चार/2023/9076 दिनांक 09.10.2023

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करे। उक्त पत्रानुसार विधानसभा आम निर्वाचन 2023 - कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों को अवकाश दिये जाने के संबंध में छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

अतः कृपया निर्देशानुसार लेख है कि उक्त पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध मे नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए विभाग को अवगत कराने का कष्ट करे।
संलग्न उपरोक्तानुसार।

(वीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव
म प्र शासन, श्रम विभाग

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन, 17, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

दूरभाष (कार्या.) : 0755-2550488, 2559412, 2570414, 2446602, फैक्स : 0755-2555162

2743
10/10/23

फा. क्र. 20 / चार / 2023 / 9878 भोपाल, दिनांक [illegible]

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
श्रम विभाग,
भोपाल

विषयः विधान सभा आम निर्वाचन 2023–कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों को अवकाश दिये जाने बाबत्।

संदर्भ : भारत निर्वाचन आयोग का प्रेस नोट क्रमांक ECI/PN/57/2023 दिनांक 09.10.2023

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा आम निर्वाचन 2023 कराने हेतु कार्यक्रम प्रसारित किया जा चुका है। प्रेस विज्ञप्ति की प्रति [illegible]

अतः [illegible] अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का [illegible] करने की सुविधा देने हेतु कारखाना प्रबंधकों को मतदान के दिनांक को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें। कृपया आपके द्वारा जारी निर्देशों की एक प्रति इस कार्यालय को भी भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(राजेश कुमार कौल)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्य प्रदेश

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-विदिशा (म.प्र.)

☎ (07592) 2345[illegible], 233302Fax- 237354, 233302E-mail- deovidisha@gmail.com

पृ०क्रमांक क्यू-[illegible]/निर्वा.सा. / वि.स. / 2023 / [illegible] विदिशा, दिनांक 10.10.2023

प्रतिलिपि :—

1. अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर 144–विदिशा, 145–बासौदा, 146–कुरवाई, 147–सिरोंज, 148–शमशाबाद।
2. समस्त [illegible] प्रमुख .... जिला विदिशा की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन, 17, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011
दूरभाष (कार्या.) : 0755-2550488, 2550412, 2570414, 2446602, फैक्स : 0755-2555162

फा. क्र. 20 / चार / 2023 / 9076 भोपाल, दिनांक 09/10/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
श्रम विभाग,
भोपाल

विषयः विधान सभा आम निर्वाचन 2023--कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों को अवकाश दिये जाने बाबत्।

संदर्भ : भारत निर्वाचन आयोग का प्रेस नोट क्रमांक ECI/PN/57/2023
दिनांक 09.10.2023

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा आम निर्वाचन 2023 कराने हेतु कार्यक्रम प्रसारित किया जा चुका है। प्रेस विज्ञप्ति की प्रति संलग्न है।

अतः समस्त जिलों के अंतर्गत आने वाले समस्त मतदान केन्द्रों में कारखाना अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने हेतु कारखाना प्रबंधकों को मतदान के दिनांक को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें। कृपया आपके द्वारा जारी निर्देशों की एक प्रति इस कार्यालय को भी भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(राजेश कुमार कौल)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्य प्रदेश

पृ. क्र. 20 / चार / 2023 / 9077 भोपाल, दिनांक 09/10/2023
प्रतिलिपिः

1. संभागीय आयुक्त ,समस्त, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
2. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (समस्त), मध्यप्रदेश आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्य प्रदेश